न्यायालय सब जज, कहलगाँव, भागलपुर

पीठासीन पदाधिकारी :– अमित कुमार शर्मा

दिवानी वाद संख्या 62/2015

लगातार

10.01.2023 **सुभाष चन्द्र मिश्रा बनाम मोस0 दुलारी देवी**

में जमाबंदी भी कायम हो गई। जिससे यह स्पष्ट है कि वादी के पक्ष में विधि की उपधारणा है। यह भी एक तथ्य है कि सत्यभामा देवी ने अपने द्वारा किए गए दान पत्र को कभी चुनौती नही दी । प्रतिवादीगण के विक्रय पत्र वादीगण के दान पत्र के लगभग 21 वर्ष बाद निष्पादित किये गये है। जिस समय वाद भूमि की जमाबंदी भी विक्रय पत्र निष्पादित करने वाली दुलारी देवी के पक्ष में नही थी। व अभिलेख से यह भी विदित होता है कि अभी प्रतिवादीगण के पक्ष में जमाबंदी कायम नही है। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वादी पक्ष को इस वाद में प्रथमद्रष्टया मामला है,व सुविधा का संतुलन भी है। प्रतिवादीगण वादभूमि का दखल कब्जा अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं। अतः' यह स्पष्ट है कि अगर निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार नही किया जाता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः वादी का निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार किया जाता है। सभी प्रतिवादीगण को वादी के दखल कब्जा में व्यवधान डालने से प्रतिबंधित किया जाता है। उभय पक्षों को यह निर्देश दिया जाता है कि वाद के लंबित रहने के दौरान उभय पक्ष वाद भूमी पर यथास्थिति बनाए रखेंगें व न्यायालय की अनुमति के बिना सम्पत्ति का निस्तारण नही करेंगे। कार्यालय इस आदेश की प्रति , वाद पत्र की प्रति के साथ, सब रजिस्ट्रार कहलगांव के यहां भिजवाएं । वादी इस संबंध में आवश्यक आपेक्षिताएं दाखिल करें ।

अभिलेख दिनांक 10.04.2023 वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु ।

अवर न्यायाधीश
कहलगांव